संख्या- 15/313/24-1-15-81 पी/2004

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कार्यवाहक निदेशक,
विद्वुत सुरक्षा निदेशालय,
विभूतिखण्ड गोमती नगर, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2015

विषय:-विद्वुत सुरक्षा निदेशालय को वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे अनुपूरक मांग के माध्यम से आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-आयोजनेत्तर-103- संग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क- 03- विद्वुत सुरक्षा निदेशालय-मानक मद- 04- यात्रा व्यय में प्राविधानित धनराशि रूपये 4,00,000/- (रूपये चार लाख मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय शासन द्वारा पूर्व में निर्धारित नियमों/वित्त् (आय-व्यय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.12.2013 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क -आयोजनेत्तर-103-सग्रहण प्रभार- विद्वुत शुल्क -03-विद्वुत सुरक्षा निदेशाल" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 15 /313(1)/24-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

3- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुरेश कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in